11.03.25 पत्रावली पेश। उभय पक्षकारान उपस्थित। उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को एवं आदेशिका दिनांक 09.07.15 में दिये तर्कों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा पांचला के खेत ख.न. 109 रकबा 5.04 हेक्टेयर में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक यथावत रखने का निवेदन किया। अप्रार्थी सं. 2 से 5 के अधिवक्ता द्वारा बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से पेश किया गया है। जो मय खर्चा खारीज करमावे।

हमने उभय पक्षकारान की बहस व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया तथा प्रथम दृष्टया प्रकरण [illegible] सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में [illegible] से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.28 15:58:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा नम्बर 23/2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए।
	:- आदेश :- अत: अप्रार्थीगण के विरुद्ध मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा पांचला के खेत खसरा नं. 109 रकबा 5.04 हेक्टेयर में राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कमहो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर, सांचौर (उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.28 15:58:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner